Request-84

शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश

नवीन कोषागार भवन, प्रथम तल, कचेहरी रोड, इलाहाबाद

संख्या /वे0प0प्र0/न्यायिक/वित्त/ई0आर0पी0–154 दिनांक 27 अप्रैल 2005.

सेवा में

अपर मुख्य न्यायिक [illegible]
गाज़ियाबाद

महोदय,

कृपया आप अपने उच्च न्यायालय नियुक्ति-4 के पत्र संख्या 2050/दो-4-2003-23(93)/2001 दिनांक -4-07-2003 का संदर्भ लें, जो आपकी/श्री ~~लल्लू सिंह का वेतन उन्नयन~~ ~~की वेतन पर्ची जारी करने के सदर्भ मे है।~~ कनिष्ठ श्री हरिनाथ पाण्डे के समान निर्धारण के संबंध मे है।

इस संदर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अभिलेख शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध करा दें, जिससे आपकी/श्री ———————— की वेतन पर्ची जारी की जा सके।

~~शासन के संदर्भित पत्र द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है कि श्री लल्लू सिंह, श्री हरिनाथ पाण्डे से वरिष्ठ हैं तो मामला शासनादेश सं. वे.आ.नि.-357/दस-21(एम)/97 दिनांक 31-12-97 के प्रस्तर 6(2) के प्राविधानों से आच्छादित होता है। श्री लल्लू सिंह के प्रार्थना पत्र दिनांक 1-9.2001 एवं उच्च न्याया. के पत्र 16169/IV-2505 दिनांक 12-11-03 के संदर्भ में इस कार्यालय की पृच्छा 3211/809/न्या/व/ई0आर0पी0 153 दि. 17-12-03 के प्रत्युत्तर में उच्च न्यायालय के पत्र 6155 दिनांक 23-4-04 द्वारा प्राप्त विवरण सामग्री के अनुसार उ0प्र0 न्यायिक सेवा नियमावली 1909 के श्रेष्ठता क्रम 7 पर श्री लल्लू सिंह का नाम अंकित है जब कि श्री हरिनाथ पाण्डेय का क्रम क्रमांक 29 के नीचे प्रकाशित 30वें क्रम में बताया गया है। सामूहिक "ग" के अधिकारियों~~ का वेतन निर्धारण व निस्तारण आपके स्तर से किया जाता है अतः शासनादेश में दी व्यवस्था के अनुसार आप अपने स्तर कार्यवाही - (स्पष्ट रूप से [illegible]) करना चाहें।

संलग्नक-पत्रावली

भवदीय,

अपर निदेशक/उप निदेशक

पृष्ठांकन संख्या 1731 (1)/वे0प0प्र0/न्यायिक/वित्त/ई0आर0पी0–154 तद् दिनांक

प्रतिलिपि :- 1. श्री लल्लू सिंह अपर सिविल जज (ज.डि.) गाजियाबाद को सूचनार्थ
2. निबंधक उच्च न्यायालय इलाहा. को उनके पत्र सं. 16169, 6155/IV-2505/Admn (A) क्रमशः दिनांक 12.11.2003, 23-4-04 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।

अपर निदेशक/उप निदेशक

05 MAY 2005

121 / 3/5/05 — 1668 — SO Admn. M/A — D.R.(M) — 7902 — IV/2585 — 6.5.05 — 9.5.05 — 10-5-05 — Pankaj K.S. 11.5.05

DR(M)

This letter is only for information

If approved may file?

D.K. Srivastava
11.5.2005

RD Pandey
11.5.05
Sr.DA&A

File
Srivastava
13/05/05

(5)

Request-84

To,

Additional Director
Directorate of Treasuries, U.P.
Camp office
New Treasury Building
Kuchary Road.
Allahabad.

No. 6155 /IV 2585/Admin 'A'/dated 23-4-, 2004

Subject:- Removal of anomaly in pay of ~~the~~ of Sri Lalloo Singh the then Addl. Chief Judicial Magistrate, Pratapgarh ~~at~~ now posted as Civil Judge (Sr. division) Pratapgarh at par with that of his Junior Sri Hari Nath Pandey the then Addl. Chief Judicial Magistrate, Unnao.

D.R.(M)
Kindly see the ... dt 17-12-03, at ... 'A', and ... the draft)
[signature]
17/4/04
[signature] ... 04 ... A'

Sri

With reference to your letter no. 3211/ Ve.Pa.Pra./Nyayik/E.R.P.-153 dt 17-12-2003 on the above subject, I am directed to send herewith a copy of notification no. 149/2/E-2/88-09 dated 31.01-1994 and copy of Seniority list issued by the U.P. Public Service Commission as desired by you for taking necessary action.

[signature] ...04/04

Encl:- As. above.

Your's faithfully
[signature]
23-4-04.
Deputy Registrar

~~No.~~ 6156
No /IV 2585/Admin 'A'/dated /2004.
Copy forwarded for information to Sri Lalloo Singh, Civil Judge, (Sr. division) Pratapgarh.

[signature]
Deputy Registrar

Register No. 1230
File No. IV/2585
Serial No. 175

Request-84

पत्रांक: 3211/वे0प0प्र0/न्यायिक/ई0आर0पी0-153

प्रेषक,

अपर निदेशक,
शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0,
नवीन कोषागार भवन, प्रथम तल, कचेहरी रोड,
इलाहाबाद ।

सेवा में,

महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

दिनांक: 17 दिसम्बर, 2003

विषय:- उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री लल्लू सिंह का वेतन, उनसे कनिष्ठ अधिकारी के समान अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियुक्ति अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 2850/11-4-2003-23-(9)/2001 दिनांक 4-7-2003 के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक 16169/चार-2585/प्रशासन(ए) दिनांक 12-11-2003 का कृपया आप सन्दर्भ लें जिसके द्वारा श्री लल्लू सिंह, सिविल जज प्रतापगढ का वेतन, कथित कनिष्ठ अधिकारी श्री हरिनाथ पाण्डेय के वेतन के समान निर्धारण किये जाने की अपेक्षा की गयी है ।

उक्त क्रम में अवगत कराना है कि वित्त अनुभाग उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या प0मा0नि0-357/दस-21(m)/97 दिनांक 31-12-97 के प्रस्तर 6(2) के प्राविधानों के अधीन वेतन निर्धारण के लिए अधिकारी विशेष की वरिष्ठता-कनिष्ठता का स्पष्ट रूप से निर्धारण एवं अधिसूचना आवश्यक है । इस कार्यालय में उ0प्र0 न्यायिक सेवा के अधिकारियों की व्यक्तिवार वरिष्ठता-कनिष्ठता से सम्बन्धित अधिसूचित सूची उपलब्ध नही है और न ही प्रश्नगत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुसंगत आदेश (Speaking Order) पारित किया गया है ।

अतएव आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण के निमित्त वरिष्ठता-कनिष्ठता के सम्बन्ध में निर्धारित व्यक्तिवार अधिसूचित सूची, अपने सुसंगत आदेश के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे श्री लल्लू सिंह के प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।

भवदीया,

(श्रीमती पी0एस0मोहन कर)
अपर निदेशक कोषागार ।

184
S.O. Admin H/A1

D.R.(M)
17-1-2004

16 JAN 2004

25-3-04

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 15:13:50 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad